

SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE

(Prevention, Prohibition and Redressal) Act-2013

A. Following Constitutes an offence under the Act :

A. Sexual Harassment includes any one or more of the following act or behaviour, (whether directly or by implication), namely :

- Physical contact and advances ; or
- Demand or request for sexual favours ; or
- Making sexually coloured remarks ; or
- Showing any pornography ; or
- Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.

B. The following circumstances, among other circumstances, if it occurs or is present in relation to or connected with any act or behaviour of sexual harassment may amount to sexual harassment :

- Implied or explicit promise of preferential treatment in employment ; or
- Implied or explicit threat of detrimental treatment in employment; or
- Implied or explicit threat about her present or future employment status; or
- Interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her; or
- Humiliating treatment likely to affect her health or safety.

For any complaint please write to :

**CHAIRPERSON, Regional Services Division Committee Against Sexual Harassment (RSDCASH),
Regional Services Division, IGNOU, Maidan Garhi, New Delhi-110 068**

(Email : rsdcash@ignou.ac.in)

OR RCCASH Committee of your Regional Centre.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (बचाव, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013

निम्नलिखित व्यवहार इस अधिनियम के तहत अपराध माने जाते हैं :

क. यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित में से कोई एक या अन्य व्यवहार शामिल हैं (प्रत्यक्ष रूप से या उसके आशय से) अर्थात :

- शरीर छूना और उसकी कोशिश करना ; या
- यौनिक स्वीकृति की मांग करना या अनुरोध करना ; या
- यौनजनित फ्लितियां कसना ; या
- अश्लील चित्र दिखाना ; या
- किसी भी प्रकार का अवांछित, शारीरिक, शाब्दिक या इशारे में किया गया कामुक प्रवृत्ति का व्यवहार

ख. निम्नलिखित और अन्य परिस्थितियों में यदि इस तरह का व्यवहार होता है या इस तरह के व्यवहार करने की कोशिश की जाती है या इससे संबंधित कोई भी व्यवहार यौन उत्पीड़न समझा जाएगा :

- नौकरी में पक्षपातपूर्ण व्यवहार या अप्रत्यक्ष अथवा स्पष्ट वादा ; या
- नौकरी में अप्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से हानि पहुंचाने की धमकी ; या
- महिला के वर्तमान या भावी रोजगार के संबंधी में अप्रत्यक्ष या स्पष्ट धमकी ; या
- महिला के प्रति उसके कार्य में हस्तक्षेप करना, डरावना या शत्रुतापूर्ण या आपत्तिजनक वातावरण उत्पन्न करना; या
- महिला के स्वास्थ्य या सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाला अपमानजनक व्यवहार

किसी भी शिकायत के लिए कृपया लिखें :

अध्यक्ष, क्षेत्रीय सेवा प्रभाग यौन उत्पीड़न के विरुद्ध समिति (आरएसडीसीएसएच),
क्षेत्रीय सेवा प्रभाग, इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110 068

(E mail : rsdcash@ignou.ac.in) या क्षेत्रीय केंद्र की आरसीसीएसएच समिति